

(6)

12-05-17

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम
पक्ष अधिवक्ता हाजरी । द्वितीय
पक्ष हाजरी हेतु दिनांक 26-05-17
की रखा ।

4
12/5/17

26-05-17

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम
पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक
01, 09 उपस्थित अन्य अधिवक्ता
हाजरी । उक्त वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है अतः
वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द
की जाती है ।

4
26/5/17
कार्यपालक विधि अधिकारी
मुम्बई (राजकी)